संचिका सं0 –1 / सा.सु. (राज0) स्था–01 / 2009 (अंश) स.क. – 630

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

114

प्रेषक,

एस0 सिद्ध,
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक :– 21.4.09

विषयः– समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत समाज कल्याण निदेशालय तथा सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के बीच कार्यों का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सरकार के संकल्प सं0–597 दिनांक–06.03.2009 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय एवं निःशक्तता निदेशालय के बीच कार्यों का नये सिरे से आवंटन किया गया है। इसी क्रम में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय का नाम परिवर्तित होकर सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय हो गया है। सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय को अब आवंटित कार्य विषय निम्नवत् है :–

1. वृद्धावस्था / सामाजिक सुरक्षा के पेंशन का वितरण।
2. वरीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य एवं योजना।
3. निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित कल्याणार्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वयन।
4. नशामुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास।
5. अपराधशील जनजातियों तथा समाज बहिष्कृत अन्य जातियों का पुनर्वास।
6. भूतपूर्व अपराधशील जनजातियों के लिये विशेष गृह निर्माण योजना।
7. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
8. बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
9. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
10. मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना–विकलांगों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने की योजना।
11. राज्य सामाजिक संरक्षण पेंशन योजना।
12. कबीर अन्तेष्टी अनुदान योजना।
13. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना।

14. विकलांग शिक्षा कार्यक्रम एवं विकलांग छात्रवृत्ति योजना।
15. भिखमंगों का पुनर्वास।

उपर्युक्त कार्यों में क्रमांक 7 से 13 के सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि कार्य विषयों के अतिरिक्त अन्य कार्य जिलों में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा सम्पादित कराया जाता था। अब जिला में उपरोक्त सभी कार्य सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा कार्यान्वित कराया जाना है।

अतः निदेशित किया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी उपर्युक्त कार्य अब सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा कार्यान्वित कराना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

S. Sidhoo
(एस० सिद्धू) 20/4/09
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग, बिहार ।

Sec/20-21

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पटना, दिनांक : 6/3/09

संकल्प

विषय :—समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत समाज कल्याण निदेशालय तथा सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के बीच कार्यो का आवंटन।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–602, दिनांक–20.03.07 द्वारा राज्य के विभागों का पुनर्गठन करते हुए समाज कल्याण विभाग का गठन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में दिनांक–01.04.07 से किया गया है। इस पुनर्गठन के कम में पूर्ववती कल्याण विभाग के अंतर्गत्त कार्यरत तीन निदेशालयों यथा कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय एवं समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय (आई० सी० डी० एस० निदेशालय) में से कल्याण निदेशालय को नवगठित अनुसूचित जाति एंव जनजाति कल्याण विभाग के अधीन पुर्नस्थापित किया गया तथा श्रम संसाधन विभाग के अधीन कार्यरत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को नवगठित समाज कल्याण के अधीन पुर्नस्थापित किया गया। फलस्वरूप नवगठित समाज कल्याण के अधीन पुनः तीन निदेशालय, यथा समाज कल्याण निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय कार्यरत है।

2. समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत निदेशालय में से समाज कल्याण निदेशालय एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा समाज के एक ही वर्ग अथवा श्रेणी के लोगों के लिये अलग–अलग योजनाएँ संचालित किये जाने से योजना को सम्मिलत रूप से लागू करने एवं अनुश्रवण करने में कठिनाईयों को देखते हुए समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत्त महिला/बाल/किशोर/किन्नर से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निःशक्तजन से संबंधित योजना एवं अन्य पुर्नवास से संबंधित योजना को संचालित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनो निदेशालयों के बीच कार्यो के बटंवारा का निर्णय लिया जाता है। इसके फलस्वरूप समाज कल्याण निदेशालय एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निम्नांकित योजनाओं की कार्यान्वित किया जाएगा :–

(क) समाज कल्याण निदेशालय :–

(1) महिला एवं बच्चों/किशोर से संबंधित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन एवं समन्वय।
(2) महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण एवं सशक्तिकरण संबंधी सभी कार्य।
(3) यौन कार्यकर्त्ताओं का पुनर्वास।
(4) समाज कल्याण बोर्ड।
(5) महिला तथा बालकों के कल्याण, विकास तथा अधिकारिता से संबंधित कार्य।
(7) कल्याण बोर्ड तथा दत्तक ग्रहण से संबंधित कार्य।
(8) सभी प्रकार के विशेष सुधार गृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन।
(9) जाति प्रथा का उन्मूलन।
(10) किन्नर के विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन।
(11) महिला आयोग/महिला विकास से संबंधित कार्यो का समन्वय।
(12) मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना।
(13) मुख्य मंत्री कन्या सुरक्षा योजना।

(14) अन्तर्जातीय विवाह योजना।
(15) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण।
(16) कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न सुरक्षा कार्यकम।
(17) मानव व्यापार निवारण कार्यकम।
(18) बाल विवाह निषेध कार्यकम।
(19) बाल संरक्षण कार्यकम।

(ख) सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय :–

(1) वृद्वावस्था / सामाजिक सुरक्षा के पेंशन का वितरण।
(2) वरीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य एवं योजना।
(3) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित कल्याणर्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वियन
(4) नशामुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास।
(5) अपराधशील जनजातियों तथा समाज बहिष्कृत अन्य जातियों का पुनर्वास
(6) भूतपूर्व अपराधशील जनजातियों के लिये विशेष गृह निर्माण योजना।
(7) इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना।
(8) बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
(9) लक्ष्मीवाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
(10) मुख्य मंत्री सामर्थ्य योजना–विकलांगों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने की योजना।
(11) राज्य सामाजिक संरक्षण पेंशन योजना।
(12) कबीर अन्तेष्टी अनुदान योजना।
(13) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना।
(14) विकलांग शिक्षा कार्यकम एवं विकलांग छात्रवृत्रि योजना।
(15) भिखमंगों का पुनर्वास।

3. यह आदेश दिनांक–01.04.09 से प्रभावी होगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है, कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी साधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय तथा राजपत्र की 150 प्रतियॉ समाज कल्याण विभाग को प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(एस0 सिद्ध)
प्रधान सचिव।